

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पत्र संख्या :- 43/2025 दिनांक 21/5/25

अनवान

शुजरा बिला उदा शाह वगैर
निवादी/गोपालपुर ल बेथे प्राणी/प्राणीगण

काना बिला शौजा मुजु वगैर
निवासी/शौजा ल बेथे विपक्षी/विपक्षीगण

:- आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढी करने:-

न्यायालय में अधिवक्ता श्री ...K.C. ...के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जॉच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जॉच किये जाने पर पाया कि प्राणी/प्राणीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्राणी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा शौजा पटवार हल्का मेघपुरा की आराजी संख्या 209/5 कुल कीता-0.1.....कुल रकबा ...0.190.60 कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्राणीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्राणी/प्राणीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्राणी/प्राणीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा शौजा पटवार हल्का मेघपुरा की आराजी संख्या 209/5 कुल कीता-0.1.....

कुल रकबा 0.190.60 भूमि की पत्थरगढी हेतू सूचना पत्र जारी कर प्राणी/प्राणीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्राणीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 1500/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र
कीता- ①

उपखण्ड अधिकारी, बेगू
जिला चित्तौडगढ़(राज.)

क्रमांक/सरिस्ता/2025/ 243

दिनांक :- 5/5/25

प्रार्थना पत्र संख्या 43/25 व अनवान शुजरा व काना प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी, बेगू
जिला चित्तौडगढ़(राज.)